अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.टी.)

सत्रीय कार्य 2017

(जनवरी 2017 और जुलाई 2017 सत्रों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए)



अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदानगढ़ी, नई दिल्ली—110 068

अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम 01 से 04 (पी.जी.डी.टी.-01 से 04) सत्रीय कार्य 2017

(जनवरी 2017 और जुलाई 2017 सत्रों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए)

कार्यक्रम कोड : पी.जी.डी.टी.

प्रिय विद्यार्थियो.

जैसा कि 'अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा' कार्यक्रम की 'कार्यक्रम दर्शिका' में आपको बताया गया है कि इस स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में पढ़ाई के साथ-साथ आपको कुछ सत्रीय कार्य भी करने हैं। इसके लिए चार पाठ्यक्रमों के अंतर्गत आपको एक-एक सत्रीय कार्य करना होगा। ये सत्रीय कार्य आपकी आंतरिक परीक्षा है। अतः इन्हें ध्यानपूर्वक और पूरे परिश्रम के साथ करें। प्रत्येक पाठ्यक्रम के सत्रीय कार्य आप अपनी सुविधा के अनुसार अलग-अलग प्रस्तुत कर सकते हैं और एक साथ भी प्रस्तुत कर सकते हैं। सत्रीय कार्य प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि इस प्रकार है:

पाठ्यक्रम कोड और शीर्षक	सत्रीय कार्य प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	
	जनवरी 2017 में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के लिए	जुलाई 2017 में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के लिए
पी.जी.डी.टी01 अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि	30.09.2017	31.03.2018
पी.जी.डी.टी02 अनुवाद का भाषिक और सामाजिक पक्ष	30.09.2017	31.03.2018
पी.जी.डी.टी03 व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और क्षेत्र	30.09.2017	31.03.2018
पी.जी.डी.टी04 प्रशासनिक अनुवाद	30.09.2017	31.03.2018

उद्देश्य : प्रस्तुत कार्यक्रम के अंतर्गत आपको अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि, अनुवाद के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों, उसकी प्रक्रिया तथा बारीकियों की जानकारी देते हुए, विविध क्षेत्रों में अनुवाद का अभ्यास कराया गया है। सत्रीय कार्य का मुख्य उद्देश्य यह जाँचना है कि आपने पाठ्य—सामग्री को कितना समझा है और उसे कहाँ तक व्यवहार में ला सकते हैं। यानी आपको इस योग्य बनाना है कि अध्ययन के दौरान जो जानकारी आपको प्राप्त हुई है उसे आप अपने शब्दों में विधिवत प्रस्तुत कर सकें और अनुवाद कार्य में उसे व्यवहार में लाते हुए अच्छा अनुवाद कर सकें।

सत्रीय कार्य करने से पहले कुछ बातें

- 1) उत्तर के लिए फुलस्केप कागज का ही इस्तेमाल करें।
- 2) प्रत्येक सत्रीय कार्य के लिए अलग उत्तर पुस्तिका बनाएँ। इस तरह आपके चार सत्रीय कार्यों के लिए चार उत्तर पुस्तिकाएँ होनी चाहिए।
- 3) अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के दाहिने कोने के सबसे ऊपर अपनी नामांकन संख्या और पूरा पता लिखें तथा तिथि सहित हस्ताक्षर करें।
- 4) अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के बाएँ कोने पर कार्यक्रम का शीर्षक, पाठ्यक्रम का कोड, उसका शीर्षक, सत्रीय कार्य कोड तथा अध्ययन केंद्र का नाम/कोड लिखें।

आपका सत्रीय कार्य इस प्रकार आरंभ होना चाहिए :

कार्यक्रम का शीर्षक :	नामांकन संख्या :
	नाम :
	पता :
पाठ्यक्रम कोड :	
पाठ्यक्रम का शीर्षक :	
सत्रीय कार्य कोड :	हस्ताक्षर :
अध्ययन केंद्र का नामः	तिथि :

- 5) पाठ्यक्रम के कोड तथा सत्रीय कार्य के कोड सत्रीय कार्य पर मुद्रित होते हैं और वहाँ से देखकर लिखे जा सकते हैं। प्रत्येक उत्तर के पहले प्रश्न संख्या अवश्य लिखें।
- 6) अपने उत्तर केवल फुलस्केप कागज पर लिखें और उन्हें अच्छी तरह नत्थी कर दें। बहुत पतले कागज पर न लिखें। बायीं ओर 4 सेमी. का हाशिया छोड़ दें। एक उत्तर और दूसरे उत्तर के बीच कम से कम 4 पंक्तियों का स्थान छोड़ें। ऐसा करने से परीक्षक उचित स्थान पर अपनी टिप्पणी दे पाएँगे।

सत्रीय कार्य के लिए आवश्यक निर्देश

इस सत्रीय कार्य में आपसे तीन तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। लंबे निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 400 शब्दों में, और लघु निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर 200-250 शब्दों में देने हैं। व्यावहारिक अनुवाद संबंधी प्रश्नों के उत्तर समुचित कोश का उपयोग करते हुए प्रसंग और संदर्भानुसार देने हैं।

- प्रत्येक सत्रीय कार्य को ध्यान से पढ़ें और यदि कोई विशेष निर्देश दिए गए हों तो उनका पालन करें।
 सत्रीय कार्य जिन इकाइयों पर आधारित हैं उन्हें पढ़ लें। प्रश्न के संबंध में महत्वपूर्ण बातों को नोट कर लें, फिर उनको व्यवस्थित करके अपने उत्तर की रूपरेखा बनाएँ।
- जब आपको विश्वास हो जाए कि जो उत्तर आप देने जा रहे हैं वह संतोषजनक है, तब उन्हें साफ-साफ लिखें और जिन बातों पर आप जोर देना चाहते हैं उन्हें रेखांकित कर दें।
- अनुवाद के व्यावहारिक प्रश्नों को करते समय ''कोश'' का भरपूर प्रयोग करें। विषय एवं संदर्भ का विशेष ध्यान रखें। हिंदी और अंग्रेजी के कथनों की तुलना करें। यह देखें कि अनुवाद से वही अर्थ निकल रहा है जो मूल सामग्री से निकलता है। यह भी सुनिश्चित करें कि आपका अनुवाद लक्ष्य भाषा की उपयुक्त

- शैली के अनुरूप है, स्रोत भाषा की छाया मात्र नहीं। अनुवाद में मूल लेखन की-सी सहजता लाने के लिए अपनी कल्पनाशीलता और लेखन-क्षमता का उपयोग करें।
- निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर देते समय प्रस्तावना और निष्कर्ष के संबंध में विशेष ध्यान दें। प्रस्तावना संक्षेप में होनी चाहिए। इसमें यह बताएँ कि प्रश्न से आप क्या समझते हैं और आप क्या लिखने जा रहे हैं। निष्कर्ष में आपके उत्तर का सार होना चाहिए। उत्तर सुसंगत और सुसंबद्ध हों। वाक्यों और अनुच्छेदों में परस्पर तालमेल होना चाहिए। उत्तर सत्रीय कार्य में दिए गए प्रश्न से संबद्ध होना चाहिए। यह देख लें कि आपने प्रश्न में निहित सभी मुख्य बातों के उत्तर शामिल किए हैं।

सत्रीय कार्य पूरा करने के बाद यह सुनिश्चित कर लीजिए कि :

- क) आपके उत्तर तार्किक और सुसंगत हों,
- ख) वाक्यों और अनुच्छेदों (Paragraphs) के बीच स्पष्ट क्रमबद्धता हो,
- ग) उत्तर सही ढंग से लिखे गए हों तथा आपकी अभिव्यक्ति शैली और प्रस्तुति उत्तर के पूर्णतया अनुरूप हो,
- घ) उत्तर प्रश्न में निर्धारित शब्द-संख्या से अधिक लंबे न हो, और
- ङ) आपके लेखन में भाषागत त्रुटियाँ न हों, विशेष रूप से वर्तनी और व्याकरण संबंधी गलतियों से बचें।
- च) उत्तर अपने हाथ से लिखें। इसे मुद्रित या टाइप न करें। उत्तर में विश्वविद्यालय द्वारा आपके पास भेजी गई इकाइयों से नकल न की गई हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कम अंक मिलेंगे।
- छ) अन्य विद्यार्थियों के उत्तरों से नकल न करें। यदि यह पाया जाता है कि आपने नकल की है तो आपके सत्रीय कार्यों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- ज) प्रत्येक सत्रीय कार्य को अलग-अलग लिखें।
- झ) प्रत्येक उत्तर के साथ उसके प्रश्न की संख्या अवश्य लिखें।
- ञ) सत्रीय कार्य को पूरा करके इसे अध्ययन केंद्र के पास भेज दें। अध्यापक जाँच सत्रीय कार्य की उत्तर-पुस्तिका को किसी भी स्थिति में मुख्यालय के विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग को मूल्यांकन के लिए न भेजें।
- ट) अध्ययन केंद्र में सत्रीय कार्य को प्रस्तुत करते समय निर्धारित प्रेषण एवं पावती कार्ड पर अध्ययन केंद्र से (सत्रीय कार्य प्राप्त किए) प्राप्ति दर्ज करा लें।
- ठ) यदि आपने क्षेत्र को बदलने के संबंध में निवेदन किया है तो आप अपने सत्रीय कार्यों को अपने पहले के अध्ययन केंद्र में ही तब तक भेजते रहें जब तक कि विश्वविद्यालय की ओर से आपको क्षेत्रीय केंद्र बदलने की सूचना नहीं भेज दी जाती।

पी.जी.डी.टी-01 अनुवाद : सिद्धांत और प्रविधि सत्रीय कार्य

कार्यक्रम कोड : पी.जी.डी.टी.

पाठ्यक्रम कोड : पीजीडीटी-01

सत्रीय कार्य कोड : पीजीडीटी-1/एएसटी-01(टीएमए)/2017

अधिकतम अंक : 100

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 400-400 शब्दों में दीजिए : 1. 5X8=40 अनुवाद का अर्थ बताते हुए उसके स्वरूप की विस्तार से चर्चा कीजिए। i) अनुवाद की भारतीय परंपरा की विस्तार से चर्चा कीजिए। ii) 'राष्ट्रीय एकता को बनाने में अनुवाद का विशेष महत्व है।' उदाहरण सहित व्याख्या दीजिए। iii) अनुवाद प्रक्रिया के नाइडा द्वारा प्रस्तावित प्रारूप का विवेचन कीजिए। iv) अंतःभाषिक अनुवाद तथा अंतरभाषिक अनुवाद में क्या अंतर है? सोदाहरण समझाइए। v) अननुवाद्यता की अवधारणा समझाते हुए अननुवाद्यता के विविध आयामों की सोदाहरण वर्णन vi) कीजिए। एक अच्छे अनुवादक के क्या-क्या गुण होते हैं? विस्तार से समझाइए। अनुवाद कार्य में कोशों की भूमिका पर एक लेख लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को कोश के क्रम में लिखिए : 2. विशेष, व्यवहार, वानर, व्रत, वीरवार, व्यग्र, वजूद, विचाराधीन, व्यंजन, व्यामोह, विस्तार, वगैरह vigour, versace, verocity, variation, vulture, vacancy, vocation, vector, veronica, vivid, vinaceous, valediction मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। 3. 2 निम्नलिखित का रोमन/देवनागरी में लिप्यंतरण कीजिए : 4. 4 भैया should कलकत्ता knowledge विरासत writings शिमला whistle निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 400-400 शब्दों में दीजिए: 5. 5x7=35सामान्य अनुवाद और लिप्यंतरण में क्या अंतर है? समझाइए। i) 'व्यतिरेकी विश्लेषण और अनुवाद' पर एक टिप्पणी लिखिए। ii)

अनुवाद मूल्यांकन की विविध पद्धतियों की चर्चा कीजिए।

iii)

- iv) अनुवाद में पुनरीक्षण का क्या महत्व है? समझाइए।
- v) मशीनी अनुवाद की प्रमुख प्रविधियाँ कौन—कौन सी हैं? समझाइए।

6. निम्नलिखित हिंदी मुहावरों / लोकोक्तियों के अंग्रेजी समतुल्य लिखित :

- i) ईद का चाँद होना
- ii) सब धान बाईस पसेरी
- iii) सूत न कपास जुलाहे से लट्डम-लट्डा
- iv) गुड़ गोबर कर देना

7. निम्नलिखित मुहावरों के हिंदी रूप लिखिए :

4

7

- i) Better buy than borrow
- ii) To break one's word
- iii) To loose wits
- iv) To leave no stone unturned

निम्नलिखित अंग्रेजी पाठ और उसके हिंदी अनुवाद को पढ़िए और अनूदित पाठ का पुनरीक्षण कीजिए :

Economic Development: A Wider Concept

Modernisation as defined above promotes growth and development. It promotes growth by improving the efficiency of production processes. How does it improve efficiency? First, new technologies of production incorporating scientific advances make it possible to produce higher level of output from the same level of inputs. Second, where new technologies require levels of inputs they make it possible to produce far higher levels of output compared to the old technologies. In either case, you can see, the inputs per unit of output would be lower compared to the old production process. This is what we mean by improvement in the efficiency of production. This saving in inputs, in turn, helps in achieving higher growth of output of goods and services in the economy. We may thus conclude by saying that modernization is a means of promoting growth of desired goods and services satisfying human wants and needs. This is indeed what we mean by development.

आर्थिक विकास : एक विशाल धारणा

जैसी कि आधुनिकरण की ऊपर चर्चा की गई है, आधुनिकरण से संवृद्धि और विकास को बढ़वा मिलता है। वह उत्पादन की प्रक्रियाओं की योग्यता घटाकर संवृद्धि को बढ़ावा देता है। वह योग्यता को कैसे घटाता है? वह दो संभावित रूपों में योग्यता को घटाता है। पहला, वैज्ञानिक प्रगति से युक्त उत्पादन की नई प्रौद्योगिकियों से उतने ही आगतों, जितना कि पहले प्रयोग किया जाता था, से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। दूसरे, जहाँ नई प्रौद्योगिकियों के लिए अधिक आगतों की जरूरत होती है, वहां उनसे पुरानी प्रौद्योगिकियों की तुलना में बहुत अधिक उत्पादन करना संभव होता है। इन दोनों ही स्थितियों में हम यह देख सकते हैं कि उत्पादन की प्रति एकक के लिए आगत पुरानी उत्पादन प्रक्रिया की तुलना में कम होंगे। आगतों में इस बचत से उत्पादन का और अधिक विस्तार करने में मदद मिलती है। हम इस तरह से समाधान रूप में यह कह सकते हैं कि आधुनिकीरण संवृद्धि को बढ़ावा देने का एक साघन है। मनुष्य की आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करने वाली वांछित वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि में संवृद्धि को ही तो हम विकास कहते हैं।

पी.जी.डी.टी—02 अनुवाद का भाषिक और सामाजिक पक्ष सत्रीय कार्य

कार्यक्रम कोड : पी.जी.डी.टी.

पाठ्यक्रम कोड : पीजीडीटी-02

सत्रीय कार्य कोडःपीजीडीटी-02/एएसटी-01(टीएमए)/2017

अधिकतम अंक : 100

1. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 400 शब्दों में दीजिए।

8x7 = 56

- i) भाषा से क्या तात्पर्य है? अंग्रेजी—हिंदी अनुवाद के संदर्भ में भाषा—संरचना के महत्व पर प्रकाश डालिए।
- ii) 'पारिभाषिक शब्द' का अर्थ स्पष्ट कीजिए और पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
- iii) भाषा आधुनिकीकरण और भाषा मानकीकरण में अंतर स्पष्ट करते हुए अनुवाद के संदर्भ में मानकीकरण की उपयोगिता की व्याख्या कीजिए।
- iv) जनसंचार के क्षेत्र में अनुवाद से जुड़े रोजगार संबंधी प्रमुख क्षेत्रों की सोदाहरण चर्चा कीजिए।
- v) दूसरी भाषा शिक्षण की संरचना को स्पष्ट करते हुए इसमें अनुवाद के उपयोग पर प्रकाश डालिए।
- vi) मूल्यांकन सामग्री क्या होती है? मूल्यांकन सामग्री के अनुवाद की सामान्य भूलों पर सोदाहरण चर्चा कीजिए।
- vii) प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद की आवश्यकता और सरकारी विभागों में अनुवाद संबंधी व्यवस्था पर प्रकाश डालिए।
- 2. निम्नलिखित में से प्रत्येक उपसर्ग का प्रयोग करते हुए चार—चार शब्द बनाइए :

अन-, उत्-, कु-, दु:-, प्र-, स-

- 3. निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रत्यय का प्रयोग करते हुए चार—चार शब्द बनाइए : 3 —ईला, —उ, —कारी, —दार, —पद, —वाला
- 4. निम्नलिखित शब्दों को मानक रूप में लिखिए :

घन्टा, चञ्चल, उन्नत, दिक्कत वांग्मय संयास

5. निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के हिंदी / अंग्रेजी पर्याय लिखिए:

7

3

3

पिछड़ा वर्ग, सतत विकास, औद्योगिक कार्यनीति, बाह्य रोगी, प्राथमिक शिक्षा, प्रतिनिधिमंडल, परिवहन भत्ता

admission form, coalition government, freelance journalist, national capital territory, revised edition, sovereignty, working arrangement.

MA in Participatory Development (MAPD)

Term-End Examination MDS-010: COMMUNICATION FOR DEVELOPMENT Time: 3 hours Maximum Marks: 100 **Note:** Answer all questions. All questions carry equal marks. Questions no. 1 to 4 are essay type and question no. 5 is short notes. Discuss in detail the concept of listening. Briefly mention the various 1. (a) types and benefits of listening. 20 OR Critically analyse the concept and significance of e-governance. Explain the (b) various models used in designing e-governance initiatives. 20 2. 'Goli Ke Hamjoli' campaign was successful because of the PR strategies used. Critically (a) examine the concept of public relations in the light of the above example. 20 What do you understand by the term 'target audience'? Differentiate between internal and external stakeholders. 3. Discuss the concept of 'Media audit' and its relevance in today's world, with a suitable (a) example. 20 OR (b) Critically examine the various components of culture and the role of management in shaping organisational culture. 20 What do you understand by 'Interpersonal Communication'? Highlight the various 4. (a) challenges to interpersonal communication. 20 What do you understand by 'Integrated Marketing Communication'? Discuss (b) with a suitable case study. 20 Write short notes on any **two** of the following: (a) Types of Advertising 10 Types of PR Campaigns 10 (b) (c) Types of Body Language 10 Office Etiquette (d) 10 The British government was becoming more and more powerful. Educated Indians like Raja Rammohan Roy, Bankim Chandra and Ishwar Chandra Vidyasagar believed' Indians had to unite to fight foreign rule. But there could be no progress without abolishing social evils. Raja Rammohan Roy (1772-1833) founded the Brahmo Samaj in 1828 to eradicate practices such as sati, child marriage and purdah system. He championed widow remarriage and women's education. He campaigned for the English system of education. Soon sati was declared a legal offence. Swami Vivekananda (1863-1902) urged young people to wake up and work for the country.

The British introduced English education for training clerks to run offices. Ironically, this opened the eyes of the middle class to western ideas of equality, freedom of expression and people's rights. The Indian National Movement kicked off when Surendranath Banerjee formed the Indian Association at Calcutta in 1876. The Indian National Congress came up in 1885 with help from A.O. Hume, a retired British official.

The 20th century dawned. Leaders such as Tilak and Aurobindo Ghosh launched the Swadeshi Movement to take the idea of self-determination to common people. In 1906, the Congress session at Calcutta, presided over by Dada Bhai Naoroji, gave a call for "Swaraj", or self-government within the British Dominion. The call "Swaraj is my birthright, I shall have it!" became famous.

In 1905, the British Government divided Bengal "to keep Hindus and Muslims apart". They announced the Minto-Morley (government) reforms in 1909, to satisfy the troublesome Indian leaders. The efforts failed. Leaders opposed the reforms as another attempt to "divide and rule", since it promised special representation for Muslims. King George-V cancelled the partition of Bengal and gave orders to shift the capital of India from Calcutta to Delhi.

On the one side, activists led by Tilak, Lala Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal spoke, wrote and gathered people to resist British rule; on the other, revolutionaries stepped up violent activities like shooting British officers and throwing bombs. "No unrest," said the Legislative Council in Delhi and passed the Rowlatt Act in 1919, empowering the government to put people in jail without trial. Angry crowds across India held massive demonstrations against this. On April 13, 1919, Baishaki Day, a crowd gathered at Jallianwala Bagh, a maidan next to the Golden Temple, Amritsar. These were common, unarmed Punjabis, protesting peacefully against persecution by the government. Without warning, General Dyer appeared with his armed policemen, ordered them to open fire on the people. There was no escape. Hundreds, including women and children, were gunned down.

8. निम्नलिखित का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए :

हमारे पूर्वज जब स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए तो उनके लिए आजादी का एक ही अर्थ रहा — अंग्रेजों से मुक्ति। वह चाहते थे कि अंग्रेज बस देश छोड़कर चले जाएँ। स्वाधीनता के बाद सबसे बड़ा सवाल यह पैदा हुआ कि आजादी को कैसे बचाकर रखा जाए? कैसे उसका सुफल समाज की अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे? स्वाधीनता के साथ ही उसे हड़पने वाले फलन भी उठने लगे थे। इसलिए संविधान सभा ने बहुत सोच—विचार कर एक ऐसा विधान रचा जिसमें दुनिया के तमाम संविधानों के अच्छे गुणों को समाहित किया गया। कोशिश की गई कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी स्वाधीनता का फायदा और अधिकार मिले।

इसमें कोई दौरान नहीं कि आजादी के 70 वर्षों में हमने अपने लोकतंत्र का, संविधान—प्रदत्त अधिकारों का भरपूर उपभोग किया लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हमने इस स्वाधीनता को, इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए अपनी तरफ से भी कुछ किया है?

हमारे साथ आजाद हुए हमारे पड़ोसी देशों की तुलना में हम कहीं बेहतर स्थिति में है। फिर भी यदि अपने लोकतंत्र की समृद्धि के लिहाज से सोचें तो लगता हे कि हम और बेहतर हो सकते थे। हम अभी भी दास मनोवृत्ति के शिकार हैं। यही कारण है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक की तरह हम व्यवहार नहीं कर पाते। इस देश को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए जिन जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए, क्या हम वह करते हैं? शायद नहीं।

1976 में 42वें संशोधन के जिरये मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। इसके पीछे पिश्चिम की वह समाजवादी अवधारणा थी जिसके अनुसार में कोई भी सुविधा मुफ्त नहीं मिलनी चाहिए। यदि भोजन जन्मिसद्ध अधिकार है तो उसे जुटाने के लिए काम करना भी जन्मिसद्ध कर्तव्य होना चाहिए। मौलिक कर्तव्यों के तहत प्रत्येक नागरिक को संविधान और उसके आदर्शों का सम्मान करना चाहिए। भारत की सप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, समरसता का निर्माण, देश की सामासिक संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं का संरक्षण, प्रकृति एवं पर्यावरण का संवर्धन इसका आधार है।

बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इन कर्तव्यों का पालन नहीं करते और मानवीय गुणों का अवहेलना करते हैं। उदाहरण के लिए, स्वच्छता की बात ही लीजिए। हम चाहते हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता मिले। लेकिन हम इसके लिए कोई प्रयास नहीं करते। इसके उलटे हम खुद हीं संदर्भ फैलाते हैं। हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, हेलमेट नहीं पहनते, कभी बीम पर लाइटें जलाते हैं और पकड़े जाने पर अपने ऊंचे रसुख वाला होने का परिचय देते हैं। 'सब चलता है' हमारा स्थायीभाव हो गया है। सार्वजनिक जीवन में रिश्वतखोरों का विरोध करते हैं, पर खुद ही इसे बढ़ावा भी देते हैं।

पी.जी.डी.टी—03 व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और क्षेत्र सत्रीय कार्य

कार्यक्रम कोड : पी.जी.डी.टी.

पाठ्यक्रम कोड : पीजीडीटी-03

सत्रीय कार्य कोडः पीजीडीटी-03/एएसटी-01(टीएमए)/2017

अधिकतम अक : 100 अक

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. सारानुवाद से क्या अभिप्राय है? इसके प्रमुख प्रयोग क्षेत्रों की विस्तार से चर्चा कीजिए। 10

2. निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए:

10

- i) The source of this pleasure seems to derive from the combination of the known with the unknown.
- ii) Translations came to be viewed as product of cultural representation.
- iii) The market is a paradise for avid shoppers, with a number of international brands available here.
- iv) The story and the treatment of action scenes should look different from our regular episodes.
- v) The farmers of 63 villages had submitted that they wanted their land back instead of enhanced compensation.
- vi) He has postponed his decision to quit as Party seniors and others advised me not to desert the party.
- vii) New aesthetic ideals as well as technological innovations might make a film more interesting or more marketable, but it does not necessarily make it better.
- viii) Globalization is frequently identified as a negative factor in language maintenance.
- ix) Tata Communications Ltd. And UK-based Vodafone have got extension till April 10 for making the acquisition bid for various companies.
- x) The eight core industries expanded by 6.8% in February, against 6.4% in the same period last year, on healthy growth in coal, electricity and cement production.

3. निम्नलिखित का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिएः

10

- 1. भाषा भावों एवं विचारों की संवाहिका होती है। यह किसी समाज एवं संस्कृति को अभिव्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है।
- 2. विद्यार्थियों की बातों का समर्थन संस्थान के संकायों के शिक्षक भी कर रहे हैं।
- 3. महाराष्ट्र के नासिक और कोल्हापुर में तथा मध्य प्रदेश के इंदौर में इस साल ज्यादा बरसात की वजह से प्याज की पैदावार पर बुरा असर पड़ा है।
- 4. घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के मामले में शिकायतकर्ता के ससुराल पक्ष को थाने में तलब किया गया।
- 5. शिक्षा को छह साल की उम्र से लेकर चौदह साल की उम्र के बीच के हर बच्चे के लिए मौलिक अधिकार बनाने वाला आर.टी.आई. कानून 1 अप्रैल 2010 से प्रभाव में आया था।

- 6. हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि बीसवीं सदी में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानविकी के अनेक क्षेत्रों में संसार के चूने हुए राष्ट्रों ने अत्यधिक प्रगति की है।
- 7. उनकी भाषाएँ इन विषयों के ग्रंथों में तथा इन विषयों की पारिभाषिक शब्दावली में अत्यधिक धनी हो सकी है।
- 8. स्वतंत्र भारत में पत्रकारिता में अनुवाद का महत्व एक नई दृष्टि से बहुत बढ़ा है।
- 9. ईसाई लोग ईसा मसीह को विश्व का मुक्तिदाता मानते हैं। उन्होंने उसका संदेश संसार के कोने—कोने में पहुँचाया है।

4. निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए :

10x4=40

1. The United Kingdom is a large island located in Europe. It also includes part of the island of Ireland. It is made up of four nations: England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. Over 60 million people live in the United Kingdom. The vast majority of the population, however, lives in England. The government of the United Kingdom is considered a constitutional monarchy. A constitutional monarchy is a government in which the monarch (king or queen) is head of state. Queen Elizabeth II is the monarch of the United Kingdom. In reality, however, she exercises very little political power.

The history of the United Kindgom is full of wars, invasions, revolutions, and interesting rulers. Numerous castles, fortifications, old cathedrals, and ruins are evidence of the kingdom's past. The "UK," as it is often called, was once the world's most powerful nation. Canada, Australia, India, Pakistan, and even the United States are among nations that used to be controlled by the United Kingdom. It is also the birthplace of the English language.

- 2. In 1274, Italian explorers Marco and Niccolo Polo set out on a 24 year journey in which they traveled the famous Silk Road from Italy, through brutal deserts and towering mountains to eastern China. They traveled over 4,000 miles in all. Marco and Niccolo were among the very first Europeans to explore the fabled empire of China. In China, Marco Polo even worked for ruler Kublai Khan. Polo detailed his experiences and findings in China by writing a book. Polo described materials and inventions never before seen in Europe. Paper money, a printing press, porcelain, gunpowder and coal were among the products he wrote about. He also described the vast wealth of Kublai Khan, as well as the geography of northern and southern China. European rulers were very interested in the products Polo described. However, trading for them along the Silk Road was dangerous, expensive and impractical. European rulers began to wonder if there was a sea route to the east to get the products they wanted at a reasonable price.
- 3. As a result of the British victory in the French and Indian War, France was effectively expelled from the New World. They relinquished virtually all of their New World possessions including all of Canada. They did manage to retain a few small islands off the coast of Canada and in the Caribbean. They also agreed to stay out of India, which made Great Britain the supreme military power in that part of Asia. In addition, as compensation for Spain's loss of Florida to England, Spain was awarded the Louisiana territory. The entire face of North America had been dramatically changed. Following the war, England issued the Proclamation of 1763, which restricted settlement west of the Appalachian Mountains in an attempt to appease Indians who had developed positive relations with France. Westward-bound settlers, however, ignored the proclamation and moved into Indian lands.

Because English had incurred significant debt while fighting the war in and for the colonies, Parliament attempted to recoup the financial loss by issuing the 1765 Stamp Act on the colonists. The Stamp Act was a tax on virtually all printed documents. The tax was ill-received by the colonists, who began a boycott of British goods and even attacked British tax collectors. Parliament repealed the Stamp Act and instead issued the Declaratory Act, which maintained Britain's right to tax the colonists. These tax issues would become the cause of an even greater conflict 10 years later - The American Revolution.

4. Mr and Mrs Othello were elated. They just received news that they had inherited a house in the Delli Culta district, one of the prime locations in Lahore. Less welcome was the news that Mr Othello's father had died and they had to conduct the proper funeral rites for him. In addition, they had to handle all the details concerning his demise before they could inherit the house. This was revealed by the lawyer in charge of the late Mr Othello's will. An observer would not be wrong in surmising that the son was not close to his father.

The young Othello was the only son of the late Othello. He had a fierce row with his father when he wanted to marry his present wife, Dean, a pretty Australian and settle down with her in her homeland. The result was that his father had withdrawn all financial support and severed all ties with him. It was therefore a surprise for Alvin, the younger Othello, when he received news of the surprise windfall. "The old man must have forgiven me," he thought to himself gleefully. Because he was not doing well in Australia, this was an opportune time to settle in Lahore.

निम्नलिखित का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए :

10X3=30

(क) वीरवर अमरिसंह मारवाड़ के राठौड़ राजा गजिसंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनके समय में राजस्थान के प्रायः सभी राजपूत नरेश प्रतापी मुगल सम्राट शाहजहाँ के अधीन हो चुके थे। नियमानुसार प्रत्येक राजपूत नरेश को स्वयं अथवा अपने पुत्र को शाही दरबार में उपस्थित रखना पड़ता था। वहाँ वे अपनी वीरता और पराक्रम के बल पर उन्नित करते थे।

अमरिसंह राठौड़ भी शाहजहाँ के दरबार में किसी उच्च पद पर नियुक्त थे; किंतु इस कारण के अतिरिक्त दूसरा मुख्य कारण और भी था। अमरिसंह के बचपन से ही तेजस्वी और उदंड होने के कारण मारवाड़ के सभी सामंत—सरदार अमरिसंह से रुष्ट रहने लगे, यहाँ तक कि उनके पिता गजिसंह भी उनसे अप्रसन्न रहते थे। मारवाड़—नरेश के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अमरिसंह राज्य—सिंहासन के वास्तविक उत्तराधिकारी थे, किंतु गजिसंह ने उनका राज्याधिकार से च्युत कर अपने छोटे पुत्र यशवंतिसंह को युवराज बना दिया था। मारवाड़ सिंहासन से कुछ संबंध न रहने के कारण अमरिसंह शाही दरबार में ही रहा करते थे। दरबार में उन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त की थी और बादशाह ने भी प्रसन्न होकर 'तीन हजारी' का मनसब और 'राव' की उपाधि देकर नागौर का इलाका उनके आधीन कर दिया था।

पैतृक राज्याधिकार से वंचित किए जाने पर भी अमरसिंह ने अपने बाहुबल से यह सम्मान प्राप्त किया था; किंतु जिस उदंड स्वभाव के कारण उन्हें स्वदेश और युवराज पद तक से वंचित रहना पड़ा, उसने यहाँ भी उनका पीछा न छोड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अकाल में ही इस संसार को छोड़ना पड़ा।

एक बार अमरिसंह नियम के विरुद्ध, बिना किसी प्रकार की सूचना दिए, दरबार में बहुत दिनों तक अनुपस्थित रहे। उनके आने पर, जब बादशाह ने उनकी अनुपस्थित का कारण पूछा, तो उन्होंने नम्रतापूर्वक उचित कारण बतलाने के बदले बड़ी उदंडता से उत्तर दिया। खुले दरबार में अमरिसंह के इस व्यवहार से बादशाह बड़े रुष्ट हुए और कुपित होकर उन्होंने जुर्माने में एक बड़ी रकम खजाने में दाखिल करने की आज्ञा दी।

(ख) भाषा, व्यक्ति के भावों—विचारों को मौखिक अथवा लिखित रूप में अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। यह समाज में प्रतिफलित होती है। भाषाविज्ञान का संबंध भाषा से है और वह भाषा को दो दृष्टियों से देखता है। एक दृष्टि शुद्ध भाषाविज्ञान से संबंधित है जो यह बताती है कि भाषा क्या है, उसकी व्याकरणिक व्यवस्था कैसी है और भाषा—संरचना संबंधी उसके नियम क्या हैं, उसकी क्षमता क्या है। इस दृष्टि का आधार यह है कि भाषा समाज में प्रतिफलित होने पर भी सामाजिक संदर्भों से मुक्त है। यह वस्तुतः विशुद्ध रूप से भाषा के रचना प्रकार से संबंधित है। जबिक भाषाविज्ञान में भाषा को देखने संबंधी दूसरी दृष्टि का आधार भाषा का व्यावहारिक पक्ष है। समाजभाषाविज्ञान के नाम से परिचित भाषाविज्ञान की इस उपशाखा के अनुसार भाषा को अपने समस्या वैविध्य में देखने

का प्रयास किया है। समाजभाषाविज्ञान में यह माना जाता है कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रादुर्भाव जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार होता हे। भाषा के ये विभिन्न रूप वस्तुतः भाषा के यथार्थ एवं वास्तविक रूप हैं। भाषा—प्रयुक्ति का संबंध भाषाविज्ञान की इसी दृष्टि से है। इस दृष्टिकोण से यह बोध होता है कि भाषा किन प्रयोजनों को साधती है, भाषा—प्रयोक्ता भाषा से क्या काम लेते हैं। विविध स्थितियों एवं विषयों में भाषा—व्यवहार की एक निश्चित परिपाटी होती है, जो समान रूप से स्वीकृत होती है। व्यक्ति अपने व्यवहार में जाने—अनजाने इस निश्चित परिपाटी का पालन करता है। इसी के आधार पर जीवन के विविध क्षेत्रों में भाषा के विशिष्ट अथवा व्यवहार क्षेत्र बनते हैं। इन्हीं प्रयोगों अथवा व्यवहार—क्षेत्रों से भाषा में प्रयुक्ति की संकल्पना का उद्भव हुआ।

(ग) हिंदी के साथ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अंतर्संबंध की व्याख्या करते समय भारतीय संस्कृति साकार हो उठती है। उसकी सूदीर्घ परंपरा के साथ ही पारस्परिक संबंध की गंभीरता एवं अभिन्नता भी प्रत्यक्ष होने लगती है। प्राकृतिक तथा भौगोलिक अनुकूलता के कारण जितनी सहजता से भारतीय एकता की बात की जा सकती है, उतनी सहजता से अन्य प्रांतों की अखंडता के बारे में सोचा नहीं जा सकता। एक ही प्रकार के सुख-दु:ख, आशा-आकांक्षा एवं शिक्षा-संस्कृति का सहारा लेकर हमने अपनी चित्त-वृत्ति का निर्माण किया है। लगभग समान सामाजिक पृभठभूमि में पले हम भारतीयों की स्थिति, संकट और समस्याएँ भी प्रायः एक जैसी हैं। यही कारण है कि प्राचीन भारत में प्रशासनिक भिन्नता के बावजूद सांस्कृतिक ऐक्य सदैव कायम रहा है। मजे की बात तो यह है कि हमारे यहाँ विभिन्नताओं तथा विविधताओं के जितने तत्व विद्यमान हैं, उन तत्वों को एकसूत्र में आबद्ध करने के उतने ही औजार उपलब्ध हैं। भारतीय धर्म और दर्शन इसके आधार रहे हैं और भारतीयता सबके लिए आवश्यक गुण है। वेदों, उपनिषदों से लेकर गीता, गौतम बुद्ध और 'मानस' तक ने एकता के ही मंत्र पढ़े। परिणाम यह हुआ कि अनेकता के आवरण में एकता का ही हमारे यहाँ सदैव पालन-पोषण हुआ है। इसी की ही उपज है कि उत्तर या दक्षिण चाहे जहाँ चले जाइए, आपको जगह-जगह पर एक ही संस्कृति के मंदिर दिखाई देंगे, एक ही प्रकार के लोगों के दर्शन होंगे जो तथाकथित नई रोशनी को अपना लेने के कारण इन बातों को कुछ हद तक शंका की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ आए हुए विदेशी तत्वों को जाति, धर्म और संप्रदाय की परिधि से ऊपर उठकर भारत ने अपने रंग में रंग लिया है और यही सांस्कृतिक विशेषता ही भारत को विश्व के अन्य देशों से अलग करती है।

पी.जी.डी.टी–04 प्रशासनिक अनुवाद सत्रीय कार्य

कार्यक्रम कोड : पी.जी.डी.टी.

पाठ्यक्रम कोड : पीजीडीटी-04

सत्रीय कार्य कोडः पीजीडीटी-04/एएसटी-01(टीएमए)/2017

अधिकतम अंक : 100

नोट: सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

 हिंदी भाषा की प्रमुख प्रयुक्तियों के भाषिक वैशिष्ट्य को रेखांकित करते हुए अनुवाद की दृष्टि से इनके महत्व को विवेचित कीजिए।

2. निम्नलिखित शब्दों के हिंदी पर्याय बताइए :

10

10

basic education, communal harmony, deduction at source, export-import (Exim) policy, free market economy, immigration authority, life imprisonment, memorial lecture, national integration, offer of appointment, official business, official report, parent office, qualitative technique, relief and rehabilitation, sanctioned project, schedule of demands, travelling allowance bill, under posting certificate, vote on accounts.

3. निम्नलिखित अभिव्यक्तियों के हिंदी पर्याय बताइए :

10

- i. acknowledgement of receipt
- ii. copy forwarded for necessary action
- iii. draft reply is put up for approval
- iv. facilities are not available
- v. give priority to this work
- vi. noted for future guidance
- vii. return of the file may be awaited
- viii. sanction hereby accorded to
- ix. without any further reference
- x. you are hereby authorised to

4. निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिएः

10x4=40

Your appointment will be purely temporary and on contract for a period of: 2 years in the first instance or till completion of the work, whichever is earlier. This offer of appointment is subject to the condition that you do not have more than one wife living. You will get no accommodation from the Company. you must get yourself medically examined and your appointment will be subject to your being found medically fit by the Company's authorized Doctor or Government Doctor of a rank of Civil Surgeon. During the contract period, you shall faithfully serve the Company, obey its commands, keep its sercrets, diligently and carefully learn and perform such work and business as may be entrusted to you, attend to your work regularly during such hours as may be prescribed and perform such duties as may be assigned.

As per the clause in the letter of appointment, if any declaration/statement or information given by the employee is found to be materially false or untrue, or is suppressed, etc. affecting his eligibility for appointment in the Department, his services are liable to be terminated forthwith without any notice or compensation in lieu thereof. Hence, if any employee is found to have submitted a forged document (e.g. school leaving certificate indicating false date of birth and/or the qualification, or suppressed educational qualification without forgery materially affecting his eligibility, has service ae liable to be terminated forthwith without initiating and disciplinary proceedings. The Department has a right terminate the services of such a persons terms of a clasue in the letter of appointment 'without any notice or compensation'. The reason is that where the particulars furnished are such as would have rendered an employee ineligible for employment had those been disclosed, he has no right to continue in the employment.

ख)

India will move into a select league of just 16 countries when the amendments to the Maternity Benefits Act 1961 extending paid leave for new mothers to 6 months comes into effect. This is the recommended time that is universally recommended for the well-being of both mother and child. However, while some of the bigger organisations have already implemented this, the smaller ones seem unable to do so easily. As of now, 48% of women in the organised sector in India drop out of work mid-career citing family responsibilities. But to address this, extending maternity leave alone is not enough, it requires an attitudinal shift at workplace.

Some NGOs have expressed fears that this may lead to a bias against employing women. This could well happen in some cases, but across the world, there is the growing realisation that women are a valuable resource at the workplace and that there is a need for more not less women in the workforce. One way to help women along would be to expand the scope of paternity leave. But the real problem is that these amendments do not touch the unorganised sector where at least 85% of women in India work.

Women who are daily wagers in the cities and who work in the agriculture sector are most in need of leave after childbirth since they suffer from poor health in the first place, something aggravated by their working conditions. So even six weeks, if implemented, is simply not enough for the woman to recover and also care for her infant. Even in the organised sector, the new amendments will apply to those who have up to 10 employees or more. This leaves out small outfits where women are either hired on daily wages or are out of the purview oflaws which regulate their working hours and leave. If these benefits which are now proposed are observed in both letter and spirit by companies, we could well see more women joining the workforce and staying in it for longer periods. But for this the government also has to institute stringent checks to see that women benefit from such enabling legislation.

ग)

To,

The Heads of all Labs/Instts.

Sub: Adoption of OM No. 1/2/89-Estt. (Pay-I) dated 9.4.1999 received from Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions regarding incentive for acquiring fresh higher qualification.

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India OM No. 1/2/89-Estt. (Pay-I) dated 9.4.1999 regarding grant of lumpsum incentive on aquiring fresh qualification as listed in the Annexure to the said Govt. of India and to state that the same has been adopted with the approval of the Governing Body accorded at its 148th meeting held on 2.6.2000 for extending similar benefits of grant of the lumpsum incentive to the eligible non-technical employees of CSIR.

As per the proposal by the Governing Body, the scheme shall be operated centrally at CSIR Hqrs. and any incentive that may be admissible to any employee under the provisions of the Govt. of India O.M. under reference, shall be granted with the concurrence of Financial Adviser and approval of the DG CSIR. For this purpose, the proposals in respect of the eligible employees shall be forwarded by the Labs./ Instts. to CSIR Hqrs. for further necessary action.

It is requested that the above decision may kindly be brought to the notice of all the concerned in your Labs./Instts. for their information, guidance and necessary action.

Yours faithfully Deputy Secretary

Copy to:

- l. PS to DG. CSIR
- 2 PS to JS (A), CSIR
- 3. PS to FA
- 4. Legal Advisor
- 5. DS (CO)/DS, CSIR Complex
- 6. DS (E.I)
- 7. Head RPBD
- 8. COAs/AOs/Sr. F&AOs of CSIR Labs. Instts

घ)

Fourteen years have passed since India enacted a law to preserve biological diversity, but a basic requirement for its enforcement is yet to be initiated, an RTI enquiry has revealed.

Less than 3% of local bodies spread in 15 states have prepared the people's biodiversity registers (PBRs) - a mandatnry requirement under the Biological Diversity (BD) Act. the PBRs are records of region's biological resources – plants, animals and the traditional knowledge of the locals.

Experts say the absence of PBRs puts several endangered species at the risk of extinction, denies benefits to locals from the commercial use of biological resources and lets industrial projects get away by not disclosing their destructivity environment.

The BD Act was enacted in 2002 as part of India's commitment to International Convention on Biological Diversity (CBD), a 1993-effected treaty to conserve biodiversity, promote its sustainable use and enable "fair and equitable sharing of benefits" arising from the use of genetic resources with the local communities. The law mandates the constitution of a National Biodiversity Authority (NBA) at the Centre, state biodiversity boards (SBBs) and biodiversity management committees(BMCs) at the local level - in all the panchyats, municipalities and city corporations. The BMCs are required to prepare PBRs of bio-resources (both wild and cultivated), work for protecting the resources and charge a fee on their commercial use.

India is one of the 17 mega-biodiversity countries with 7-8% of the recorded species of the world. The Western Ghats and the Himalayas are among the world's 35 bio-diversity hotspots. Change in land use and climate are harming several of their species.

In the past few months, the National Green Tribunal (NGT) suspended environmental clearance to projects where developers did not disclose or assess the impact on biodiversity.

In April, the NTG noted that while applying for environment clearance for a dam in Arunachal Pradesh, the government of the North-eastern state and the project developer did not reveal that the site was among one of the world's few winering sites of the endangeral black-necked cane. It suspended the clearance and gave directions for fresh studies on the project's impact on the birds and other biodiversity of the region. In May, the NGT note the developers of a hydro project in Kinnaur did not consider the impact on the endangered Chilgoza pine grown in the region and used by locals for livelihood. Suspending clearance, it asked the gram sabha to decide if the project breached the Forest Rights Act.

निम्नलिखित का अग्रेजी में अनुवाद कीजिए :

10x3 = 30

भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पूँजी बाज़ार में कंपनियों तथा अन्य मध्यस्थ एजेंसियों के खिलाफ़ निवेशकों की शिकायतें आती हैं। यद्यपि मध्यस्थ एजेंसियों से संबंधित शिकायतें अलग—अलग किस्म की होती हैं तथापि कंपनियों संबंधी शिकायतों का मानकीकरण किया जा सकता है। 'सेबी' ने निवेशक शिकायत फॉर्मेट तैयार किया है। यदि निवेशक अपनी शिकायत इस फॉर्मेट में देते हैं तो उस पर कार्रवाई करने में आसानी होगी। शिकायतां के समाधान की प्रक्रिया में इससे गति आ सकती है। निवेशक शिकायत फार्मेट की नमूना प्रतियां मुंबई, कोलकता और चेन्नई स्थित 'सेबी' के सभी कार्यालयों, सभी शेयर बाज़ारों और सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त निवेश संघों के पास उपलब्ध होंगी।

कंपनियों संबंधी निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के अलावा, 'सेबी' ने पंजीयकों एवं शेयर अंतरण एजेंटों के यहाँ यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण भी किया कि ये मध्यस्थ एजेंसियां 'सेबी' के पास पंजीकृत मध्यस्थों से अपेक्षित मानकों के अनुरूप अपने कार्यकलाप करती हैं। इनसे अपेक्षित है कि वे सुधारात्मक कार्रवाई करें और चूक के कुछ मामलों में 'सेबी' ने पंजीकरण का स्थगन या उसे समाप्त करने जैसी दंडात्मक कार्रवाई भी की है। साथ ही, निवेशकों की शिकायतों का समाधान न करने की स्थिति में अभियोग भी दर्ज किए गए। कंपनियाँ जब सार्वजनिक निर्गम या राइट निर्गम के लिए आती हैं तो उनसे निवेशक शिकायत समाधान का स्पष्टीकरण लिया जाता है। इससे बेहतर समाधान प्रतिशत प्राप्त हुए अर्थात् वे पिछले दो वर्षों के पचास प्रतिशत की तुलना में अस्सी प्रतिशत हुए। प्रस्तावित फार्मेट में अपनी शिकायतें भेजने का निवेशक का सहयोग 'सेबी' के स्तर पर शीघ्र समाधान में सहायक होगा।

ऐसे मामले जहाँ कंपनियों के पास काफी शिकायतें बकाया पड़ी हों और शिकायतों के समाधान में कंपनियाँ जान—बूझकर कार्रवाई नहीं कर रही हैं वहां 'सेबी' ने ऐसी कंपनियों के खिलाफ 'प्रतिनिधित्व' (क्लास) मुकदमा' दायर करने के लिए निवेशक संघों के साथ अपनी सूचनाएँ बाँटने का निर्णय किया है। निवेशक संघों को ऐसी शिकायतों या उनके ब्यौरों की प्रतियाँ उपलब्ध कराने से पूर्व निवेशकों की सहमति ली जाएगी। नये फॉर्म में वैकल्पिक अतिरिक्त प्राधिकरण दिया गया है जहाँ निवेशक यदि चाहें तो, हस्ताक्षर कर सकता है। निवेशक कृपया यह नोट करें कि यह अतिरिक्त प्राधिकार पूरी तरह से वैकल्पिक है और इस रूप में प्राधिकृत किए जाने पर ही 'सेबी' शिकायतों की प्रतियाँ निवेशक संघों को देगा। 'सेबी' द्वारा निवेशकों की शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा भले ही इस प्रकार का प्राधिकार दिया गया हो तो या नहीं।

ख)

बहुभाषिक समाज तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आशु अनुवाद परस्पर संवाद कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा, पर्यटन के क्षेत्र में भी आशु अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास बताता है कि मानव जाति के आदिकाल से ही एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में जाते रहे हैं। चीनी पर्यटकों के भारत आगमन तथा भारतीय बौद्ध प्रचारकों के विदेश प्रवास के बारे में हम सभी जानते हैं। कभी तीर्थाटन के लिए तो कभी सैर—सपाटे के लिए, कभी अध्ययन के लिए तो कभी व्यवसाय के लिए विश्व के विभिन्न देशों के लोग दूसरे देशों में जाते हैं। जो पर्यटक किसी देश—विशेष की भाषा नहीं समझते, वे आशु अनुवाद की सहायता से ही अपने कार्य करते हैं।

लेकिन भारत में पर्यटन के क्षेत्र में आशु अनुवाद की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। कुछ होटल और पर्यटक संस्थाओं ने विदेशी भाषाओं का थोड़ा बहुत ज्ञान रखने वाले लोगों की सूची अपने पास रखी है तथा जरूरत पड़ने पर वे उन लोगों को पर्यटकों की सहायता के लिए बुलाते हैं। पर एक तो उन लोगों को भाषा का पूरा ज्ञान नहीं होता और साथ ही यह अधूरी सुविधा भी केवल महानगरों में ही मिलती है। अगर आज हम विदेशी पर्यटकों के नाम पर विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं तथा अनेक कठोर कानूनों को उदार बनाकर भारत का द्वार विदेशी पर्यटकों के लिए खोल रहे हैं तो यह भी आवश्यक है कि आशु अनुवादकों—दुभाषियों का एक प्रशिक्षित संवर्ग बनाया जाए तो पूर्ण अनुशासन तथा दक्षता के साथ पर्यटकों की सहायता कर सके।

ग)

शाहबाद डेरी स्थित होलंबी कलां में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम बूथ में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत होने की घटना दुखद होने के साथ ही घोर लापरवाही का भी उदाहरण है। राजधानी में इस तरह की लापरवाही किसी भी सूरत में बंदोश्त के लायक नहीं है। इसिलए प्रशासन को इसे गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी भी एटीएम या अन्य सार्वजिनक स्थानों पर इस तरह की लापरवाही न हो। दिल्ली में एटीएम की सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं। एटीएम के आसपास चोरी, िकनैती से लेकर उसके अंदर लोगों को बंद कर पैसा छीन लेने की घटना भी सामने आ चुकी है। सुरक्षा को लेकर एक बड़ा प्रश्न एटीएम बूथ के साथ रहा है लेकिन, यह शायद पहली बार हुआ है कि एटीएम में करंट लगने से किसी व्यक्ति की मौत हुई हो। इस मामले में बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी का कहना है कि एटीएम मूं लगे एयर कंडीशनर की तार खुला होने से यह हादसा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि एटीएम बूथ की नियमित जाँच नहीं होती थी। यदि ऐसा होता तो उस व्यक्ति की जान नहीं जाती।

बड़ा सवाल एटीएम लगाने वाली इकाइयों की भूमिका और उनकी जिम्मेदारी के ऊपर भी है। क्या उनकी यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि एटीएम बूथ पर जाने वाले व्यक्ति की वे सुरक्षा सुनिश्चित करें। क्या बैंक प्रबंधन एटीएम लगाने के लिए निर्धारित मानकों का पालन करता है? क्या वह एटीएम के बाहर एक सुरक्षा कर्मचारी की मौजूदगी सुनिश्चित करता है जो इसकी सुरक्षा के साथ ही यह भी ध्यान दे कि वहां पैसा निकालने वाले ग्राहकों को किसी तरह की असुविधा या खतरा न हो। निश्चित रूप से ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन इस दुर्घटना के बाद अब बैंक प्रबंधन को एटीएम बूथ पर पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या एटीएम बूथ में लगे करंट से व्यक्ति की मृत्यु को महज एक हादसा मान लिया जाएगा या इससे सबक लेते हुए कुछ सकारात्मक कदम भी उठाए जाएँगे। प्रशासन को इसे लेकर गंभीर होने की जरूरत है क्योंकि यह सीधे तौर पर जन—सुविधाओं से जुड़ा मामला है। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए प्रशासन को कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही हर किसी की एटीएम का प्रयोग करते समय सावधान रहने की भी जरूरत है।